राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राजस्व वाद संख्याः 08 / 2026
जीसीएमएस संख्याः 2025 / 09
दायर दिनांकः 16.01.2026
निर्णय दिनांकः 29.01.2026

1. हरीराम चाहर पुत्र भीखाराम चाहर जाति जाट निवासी ग्राम कोडासर जाटान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।
...............वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू
...............प्रतिवादी

प्रार्थना—पत्र धारा 88 आरटी एक्ट 1955

1. प्रार्थी जरिये अधिवक्ता श्री मोहनलाल बिशु एवं श्री ओमप्रकाश घोटिया।
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

—:निर्णयः—

निर्णय दिनांकः 29.01.2026

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। रोही ग्राम कोडासर जाटान तहसील सुजानगढ़ के खसरा नम्बर 43 तादादी 2.5416 है0, भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज स्थिति है। वादी का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में **हरीराम पुत्र भीखाराम** दर्ज है जो अशुद्ध है, जबकि वादी का सही नाम **हरी राम चाहर पुत्र भीखा राम चाहर** है। अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि में वादी का सही नाम **हरी राम चाहर पुत्र भीखा राम चाहर** ही अंकित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला चूरू

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण रिकॉर्ड दुरस्त करवाना आवश्यक है।

प्रश्नगत खेत रोही कोडासर जाटान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अन्य पहचान दस्तोवजों में वादी का सही नाम **हरी राम चाहर पुत्र भीखा राम चाहर** अंकित है जबकि जमाबन्दी में **हरीराम पुत्र भीखाराम** अंकित है जो अशुद्ध है। वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में **हरीराम पुत्र भीखाराम** की बजाय **हरी राम चाहर पुत्र भीखा राम चाहर** दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि में वादी का नाम **हरी राम चाहर पुत्र भीखा राम चाहर** अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तथा संलग्न दस्तावेजात अनुसार दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण डिक्री किया जाता है।

–:आदेश:–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही कोडासर जाटान तहसील सुजानगढ़ में खसरा नम्बर 43 तादादी 2.5416 है0 दर्ज खातेदार का नाम **हरीराम पुत्र भीखाराम** के स्थान पर **हरी राम चाहर पुत्र भीखा राम चाहर** दर्ज किया जावे। अन्य सभी प्रविष्टी एवं रहन की प्रविष्टी (यदि कोई हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2026 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला चूरू

(ओमप्रकाश वर्मा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमेंइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**

वइजलास **श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस**

हरीराम चाहर बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत डिक्री घोषणात्मक, कृषि भूमि दुरस्ती रिकॉर्ड एवं कृषि विभाजन

मुकदमा न0 08 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ओमप्रकाश वर्मा, आरएएस, हाजरी श्री मोहनलाल बिशु एवं श्री ओमप्रकाश घोटिया, .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है व तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम कोडासर जाटान तहसील सुजानगढ़ में खसरा नम्बर 43 तादादी 2.5416 है0 दर्ज खातेदार का नाम **हरीराम पुत्र भीखाराम** के स्थान पर **हरी राम चाहर पुत्र भीखा राम चाहर** दर्ज किया जावे। अन्य सभी प्रविष्टी एवं रहन की प्रविष्टी (यदि कोई हो तो) यथावत रहेगी। प्रति पालनार्थ तहसीलदार सुजानगढ़ को प्रेषित हो।

चीज.. मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी

सालाना आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....

.... को अदा करे।

दसतखत दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 **माह 01 2026**

मुहर

दस्तखत ....

ओहदा ....

उप खण्ड अधिकारी सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पवजहसबूत महनताना वकील खर्चागवाहान फीसकमिश्नर			स्टाम्पबकालतनामा स्टाम्पअर्जी महनतानावकीलपर खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		
बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान					

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।